

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 136 के अन्तर्गत)

प्रकरण सं. 212/2025
 दापर दिनांक 27/09/25
 निर्णय दिनांक 27/09/25
 प्रशासन गांवों के संग-2021

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि०वि०	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
राजस्व ग्राम	<u>पाणोली</u>	प०म०	<u>पाणोली</u>	भू०अ०नि०वृत्त	<u>पाणोली</u>	तहसील-	<u>कपास</u>
1	303	क्रि० 9	4.44	महोदय जी खसरा क्र. 303 लम्बे पानोली के खस. 13 का उपखण्ड पुत्र मोहनलाल दि. 1/22 जपति प्राप्ता लाल पाणोली।	महोदय जी, खाते क्र. 303 का नाम उपखण्ड के उपखण्ड के लम्बे 1/22 जपति प्राप्ता नाम के शुद्धि कर उपखण्ड के उपखण्ड बिना नाम दिया है।		
मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत् <u>2024</u> <u>2022</u> के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।				साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।		प०हल्का..... <u>पाणोली</u> भू०अ०नि०..... <u>पाणोली</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।	
दिनांक	ह० पटवारी प०म०..... <u>पाणोली</u>	दिनांक.....	ह० भू०अ०नि० पुल्ल..... <u>पाणोली</u>	ह० उपखण्ड अधिकारी सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपास	26.09.25 सह राजस्व अधिकारी बिला-बिसौदगढ़ (राज.)	प०हल्का..... <u>पाणोली</u> भू०अ०नि०..... <u>पाणोली</u> राजस्व अधिकारी रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबन्दी में अमल किया जावे।	

